भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 109

उत्तर देने की तारीख 03 फरवरी, 2020

सोमवार, 14 माघ, 1941 (शक)

कौशल विकास केंद्रों की स्थापना

109. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य और जिले के लिए कितनी निधि निर्धारित की गई है;

(घ) वर्तमान में चल रहे कौशल विकास केंद्रों की स्थिति क्या है और वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके उन्नयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ड.) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय पीपीपी मोड में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) नामक आदर्श तथा आकांक्षीय कौशल केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। मंत्रालय, एनएसडीसी के माध्यम से प्रत्येक पीएमकेके को संचालन सहायता के साथ-साथ परियोजना निवेश का 75% तक पूंजीगत व्यय उपलब्ध कराता है। पीएमकेके केंद्रों को पीपीपी भागीदारों के लिए एनएसडीसी से 70 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। राज्य/जिले-वार कोई धनराशि निर्धारित नहीं की जाती है। 17.01.2020 तक, देश के 707 जिलों में 812 पीएमकेके आवंटित किए गए हैं। आवंटित पीएमकेके में से 723 पीएमकेके स्थापित किए जा चुके हैं। पीएमकेके स्थापित करने के लिए 228.6 करोड़ रुपए की धनराशि संवितरित की गई है। समूचे देश के इन पीएमकेके में 17.01.2020 तक, 11.13 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

****